न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 23/24 तारीख रजू- 01/10/24

1. करणसिंह पुत्र सुरज्ञानसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली तहसील बामनवास।
-अपीलार्थी

वनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास । -रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 07/11/2024

उपस्थित
1. अधिवक्ता भानु कुमार सिंघल – अपीलार्थी पक्ष
2. पेरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट पक्ष

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बामनवास द्वारा मिसल संख्या 04/2024 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खेड़ली के आराजी ख0नं0 08 रकबा 0.30 है0 किस्म बंजड पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.09.2024 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया और गलत तरीके से कार्यवाही की है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिकमी मानने में भारी कानूनी भूल की है। प्रार्थी पश्चात्वर्ती अतिकमी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से भौतिक रूप से कब्जे से बेदखल किया गया है। उक्त वाद आराजीयात मौके पर बिल्कुल खाली है। परन्तु पटवारी हल्का ने गलत फहमी में अतिकमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2024 के अनुसार भी अतिकमी (अपीलान्ट) करणसिंह के द्वारा खं0नं0 8 के अतिकमी क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई अतिकमण व तारबन्दी नहीं है व मौके पर उक्त खसरा नं0 खाली है , साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिकमण पाये जाने के

7/11/24

उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। भू0अभिलेख नि0 एवं पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2024 के अनुसार भी अतिकमी (अपीलान्ट) करणसिंह के द्वारा ख0नं0 8,9 के अतिकमी क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई अतिकमण व तारबन्दी नहीं है व मौके पर उक्त खसरा नं0 खाली है लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिकमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिकमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिकमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिकमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय तहसीलदार बामनवास में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे। शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी